POLITICAL SCIENCE Dep.
BA.-2 (Sub.)

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

व्यवस्थापिका के कार्य

व्यवस्थापिका के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है। सरकार के नीतियों का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसके कार्यों का वर्णन निम्नलिखित है —

① कानून निर्माण सम्बंधी कार्य :-

लोकतंत्र में सभी कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं। वह कानून निर्माण में मूल्यों, मान्यताओं, जनता की इच्छा, संवैधानिक आदर्शों का ध्यान रखती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाती है। व्यवस्थापिका नए कानूनों का निर्माण करती है तथा पुराने कानूनों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन भी करती है।

② कार्यपालिका पर नियंत्रण :-

व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती। कार्यपालिका तब तक बनी रहती है जब तक

Scanned with CamScanner

उसे विधायिका में विश्वास मत हासिल रहता है। विधायिका प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में भी विभिन्न उपायों द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है।

③वित्तीय कार्य :-

व्यवस्थापिका द्वारा आर्थिक रूप से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष के आंभ में अनुमानित आय-व्यय को व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कर बजट प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालिका बिना व्यवस्थापिका के अनुमति के सरकार का पैसा खर्च नहीं कर सकती।

④न्यायिक कार्य :-

कुछ देशों में तो व्यवस्थापिका कतिपय न्यायिक कार्यों का भी सम्पादन करती है। जैसे :- अमेरिका की सिनेट वहाँ के राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के मुकदमे में निर्णय देने के लिए न्यायालय के रूप में बैठती है।

⑤निर्वाचन संबंधी कार्य :-

संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि का चुनाव करती है।

Scanned with CamScanner